

Failure of Youth Policy

888. DR. (SHRIMATI) BHARATI RAY: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the present policy regarding youth affairs has failed to capture the imagination of the youth of the country;

(b) if so, the steps taken for planned to address this issue; and

(c) if not, whether the need for taking such steps is felt?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS) OF THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI R. DHANUSHKODI ATHITHAN): (a) to (c) Sir, a need has been felt to reformulate the existing National Youth Policy with a view to making it more need-based and action for the same has already been initiated.

दिल्ली में मदर डेयरी दूध और शाक-सब्जी बूथों का खोला जाना

889. श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी. क्या पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मदर डेरी दूध और शाक-सब्जी बूथ तथा दिल्ली दुग्ध योजना बूथ खोलने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये जा रहे हैं;

(ख) क्या क्षेत्र विशेष की महत्ता और जनसंख्या की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने पालम कालोनी क्षेत्र में इसकी जनसंख्या तथा महत्व को ध्यान में रखते हुए वहां पर उक्त बूथों को खोलने का कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो इन बूथों के कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) दिल्ली दुग्ध योजना बूथ खोलने के लिए कोई निर्धारित मानदण्ड नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली दुग्ध योजना बूथों को खोलने के लिए निम्नलिखित मानदण्ड अपनाया रहा है:-

(1) प्रचुर मात्रा में दुध की उपलब्धता;

(2) उस स्थान तक जहां पर डिपो खोला जाना है, पक्की सड़क की उपलब्धता तथा संबंधित क्षेत्र में दूध की भरपूर मांग होनी चाहिए।

(3) निर्धारित स्थल की योजना का अनुमोदन, दिल्ली विकास प्राधिकरण/दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली नगर पालिका/एल० तथा डी० ओ० कार्यालय द्वारा किया जाता है तथा इसके बाद डिपो खोलने से पूर्व पुलिस उपायुक्त (यातायात) से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाता है।

फल और सब्जी तथा मदर डेयरी बूथों के लिए स्थानों का चयन, संभावित बिक्री, उपयुक्त स्थान की उपलब्धता तथा ऐसी दुकानों के विनिर्माण/चालू करने के लिए अन्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। दुकानों के निर्माण का कार्य, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण आदि जैसे संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावित स्थल के अनुमोदन के बाद किया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) पालम कालोनी क्षेत्र में दूध की आवश्यकता को देखते हुए, दिल्ली दुग्ध योजना ने पहले ही अपने दुग्ध 1 बूथ सं० 1751-1752, 1757-1758, 1911-1912, 2069 तथा 2075-2076 खोले हुए हैं जहां से उपभोक्ता दिल्ली दुग्ध योजना का दूध प्राप्त करते हैं। मदर डेयरी पालम कालोनी क्षेत्र में दूध की बिक्री के लिए पहले से ही अपनी बूथ चला रही है जो निम्नलिखित हैं:-

दुग्ध बूथ सं० पता

141 शिव मंदिर के निकट, साधनगर, पालम कालोनी।

135 दिल्ली विकास प्राधिकरण, जे०जे० कालोनी, मंगलापुरी।

681 मेन रोड, दुकान नं० आर०जेड- 117ए, सागर पुर, पालम कालोनी।

इंसुलेटेड डिब्बा सं० पता

1107 राजनगर, पालम कालोनी।

1123 इंदिरा पार्क, पालम कालोनी।

1127 डब्ल्यू०जेड 657सी, पालम कालोनी।

1130 राजनगर पार्ट-2, पालम कालोनी।

1131 हरफूल सिंह मार्केट, महावीर इक्लेव।

फल तथा सब्जी की एक दुकान महावीर इक्लेव के समीप नसीरपुर में पहले ही निर्माणाधीन है।